अ.वि.अ. (रा.) प्र.क्र. 202503230300003/अ-62

07/3/25	प्रकरण आदेशार्थ पेश। –प्रकरण का विवरण विवरण इस प्रकार है कि आवेदक दौवा राम साहू पिता श्री चिमनु राम साहू ग्राम पंडरभट्ठा पोस्ट झाल तहसील व जिला बेमेतरा के निवासी हैं। उनके प्रचलित आबादी जमीन पर ग्राम मजगांव तहसील व जिला बेमेतरा पटवारी हल्का नंबर 04 खसरा क्र. 61 प्रचलित आबादी का प्लॉट नं. 59 जिसका रकबा 1101 वर्गमीटर है जिस पर 30 पेड़ सागौन का पेड़ लगभग 12–15 वर्ष पूर्व लगाया गया था, उस स्थान पर भवन निर्माण कराने के कारण उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान करने आवेदन प्रस्तुत किया है। –प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन किया गया। अवलोकन उपरांत पाया गया कि आवेदक द्वारा खसरा क्र. 61 में लगे हुये 30 नग सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति चाही गई है, चूंकि राजस्व अभिलेख में ख.नं. 61 शासकीय भूमि/प्रचलित आबादी उल्लेख है, तद्संबंध में छ.ग. राजपत्र, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 के अधिसूचना के नियम *बिंदु 2 की कंडिका (घ) अनुसार*–पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किये गये किसी क्षेत्र; न तो काटा जायेगा, न गिराया जायेगा, न उसका तना छीलकर घेरा जायेगा, एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जायेगा। *तथा नियम बिंदु 8 अनुसार*– रोपित वृक्षों की कटाई.– (1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, *भूमिस्वामी अपने खाते में* कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा। –अतः उपरोक्तानुसार नियम/निर्देशों के परिपालन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है। –प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	

Scanned with CamScanner